राजस्थान राज्य सूचना आयोग

झालाना लिंक रोड, ओ.टी.एस. चौराहा ,जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर

अपील संख्या: - 11562/2017

अपीलार्थी	**बनाम**	**प्रत्यर्थी**
संजय गर्ग ई.107, दुर्गा पार्क, अम्बाबाडी जयपुर , राजस्थान		राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं अधिक्षण अभियन्ता डी0डी0ओ0 कार्यालय राज्य जल संसाधन आयोजना विभाग सिंचाई भवन जयपुर

द्वितीय अपील अन्तर्गत धारा 19(3) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

निर्णय

दिनांक : 07-03-2018

1. अपीलार्थी अनुपस्थित।

2. प्रत्यर्थी पक्ष से श्री राकेश गुप्ता, अधीक्षण अभियंता उपस्थित।

3. मैंने प्रत्यर्थी पक्ष को सुना एवं पत्रावली का विशद परिशीलन किया।

4. अपीलार्थी के आवेदन दिनांक 19-4-17 के द्वारा ई.यू.-एस.पी.पी. व सरकार द्वारा संचालित आई.डब्ल्यू.आर.एम. द्वितीय चरण में 11 चयनीत जिलो में कार्यरत संस्थाओं के नाम, पते, मोबाईल नम्बर, उनके द्वारा किये गये कार्य, भुगतान आदि के संबंध में 9 बिन्दुओं की सूचना चाही गई थी। सूचना नहीं मिलने एवं प्रथम अपील विनिश्चयविहीन रहने के आक्षेप पर हस्तगत अपील प्रस्तुत की गई है।

5. सुनवाई के दौरान प्रत्यर्थी ने निवेदन किया कि अपीलार्थी को पत्र दिनांक 4-5-17 से संसूचित कर दिया गया था कि चाही गई सूचना विस्तृत सूचना है जिससे लोक सूचना अधिकारी के स्त्रोतो का अननुपाती रूप से विचलन होगा अतः सूचना विस्तृत होने के कारण एवं राज्य लोक सूचना अधिकारी के सीमित संसाधनों को दृष्टिगत रखते हुए उक्त सूचना दिया जाना सम्भव नहीं है।

6. प्रत्यर्थी ने आयोग के नोटिस के संदर्भ में अपीलोत्तर दिनांक 15-12-17 मय संलग्नक प्रस्तुत किया है, प्रति अपीलार्थी को भी पृष्ठांकित की है, में अंकित किया है कि प्रथम अपीलीय निर्णय दिनांक 18-7-17 से निर्णित कर दिया गया था कि अपीलार्थी को किसी नियत दिवस पर अभिलेखों के निरीक्षण हेतु आमंत्रित कर लिया जावे एवं चाही गई सूचना/प्रति उपलब्ध करवाई जावे।

7. पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख से स्पष्ट है कि चाही गई सूचना वृहद सूचना है। सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 की धारा 7(9) में यह स्पष्ट है कि राज्य लोक सूचना अधिकारी किसी भी नागरिक को “सूचना साधारण तया उसी रूप में

उपलब्ध करवायेगा जिसमें उससे मांगी गयी है" वहीं अधिनियम-2005 की उपरोक्त धारा 7(9) में यह भी स्पष्ट कर दिया है कि उक्त धारा में शब्द साधारणतया एवं अननुपाती अत्यन्त महत्वपूर्ण है, जो यह स्पष्ट करते ह कि सूचना अत्यन्त विस्तृत ना हो, बहुआयामी ना हो तथा लोक प्राधिकारी के सीमित संसाधनों में देय हो। अधिनियम-2005 के उपरोक्त पाठ्य को दृष्टिगत रखते हुए स्पष्ट है कि अपीलार्थी ने अपने सूचना के आवेदन में यह अंकित नहीं किया है कि चाही गई सूचना में कोई विशाल जनहित निहित है। अतः प्रत्यर्थी द्वारा प्रेषित विनिश्चय दिनांक 4-5-17 के क्रम में प्रथम अपीलीय अधिकारी ने अपने निर्णय दिनांक 18-7-17 में यह निर्णित किया है कि अपीलार्थी को किसी कार्य दिवस को बुला कर रिकार्ड का अवलोकन करवा दिया जावे एवं सूचना उपलब्ध करवादी जावे। प्रकरण के उपरोक्त तथ्यों एवं अधिनियम-2005 की भावना व उद्धेश्यों को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में प्रत्यर्थी को निर्देश दिये जाते हैं कि आदेश प्राप्ति के 21 दिवस में अपीलार्थी को पंजीकृत पत्र द्वारा एक निश्चित दिनांक, समय व स्थान पर सूचना से सम्बन्धित अभिलेखों के अवलोकन हेतु आमंत्रित कर लें। अपीलार्थी के अभिलेखों के अवलोकनोपरान्त उनके द्वारा चिन्हित एवं नियमानुसार देय सूचना नियमानुसार शुल्क प्राप्त कर सूचना अधिप्रमाणित एवं हस्ताक्षरित कर उपलब्ध करा दें।

8. अस्तु, वर्तमान अपील उपरोक्तानुसार निस्तारित की जाती है।

9. निर्णय की प्रति उभय पक्ष को प्रेषित हो।

10. निर्णय घोषित।

(सुरेश चौधरी)
मुख्य सूचना आयुक्त